संख्या-29/2026/ 1220594/सात न्याय-9 (बजट)-2026- 07-9099/66/2024

प्रेषक,

उदय प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
उ०प्र०, लखनऊ।

न्याय अनुभाग-9 (बजट) **लखनऊः दिनांक 29 जनवरी, 2026**

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में न्याय विभाग के अनुदान सं0-42 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 2235602000400 **(राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) के मानक मद "58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान " में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0 2,50,00,000/- की** स्वीकृति।

महोदय,

अवगत कराना है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में न्याय विभाग के अनुदान सं0 42 के लेखाशीर्ष 2235602000400 **(राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण)** के मानक मद " 1- वेतन " में प्राविधानित धनराशि से उक्त लेखाशीर्ष के मानक मद "58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान " में संलग्न बी0एम0-9 संख्या:(आर.ई.-बजट-1-238-ई-12-441-X-2025-26,दिनांक 14-01-2026)में उल्लिखित विवरणानुसार रू0 2,50,00,000/- (रूपये दो करोड पचास लाख मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित किये जाने की निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष में पुनर्विनियोग प्रस्तावित नहीं किया जायेगा।
2. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष में पुनर्विनियोग प्रस्तावित नहीं किया जायेगा।
3. प्रश्नगत धनराशि की मांग जिस प्रयोजन हेतु की गयी है, उसी मद में आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
4. पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिनांक 31.03.2026 तक) में उसी कार्य के लिये किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि आहरित कर किसी बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
5. पुनर्विनियोग मात्र बजट की उपलब्धता हेतु सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रश्नगत कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये औचित्य का परीक्षण कर लेने के उपरान्त सुसंगत वित्तीय नियमों/निर्देशों के अनुसार धनराशि का उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा।
6. पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाले आडिट आपत्ति हेतु सम्बन्धित संस्था उत्तरदायी होगी।
7. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्विनियोग से उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150, 151 एवं 154 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नही होगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा ।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 संख्या (आर.ई.-बजट-1-238-ई-12-441-X-2025-26,दिनांक 14-01-2026)में उल्लिखित विवरणानुसार न्याय विभाग के अनुदान सं0- 42 के लेखाशीर्ष के नामे डाला जायेगा तथा उक्त बी0एम0- 9 में उल्लिखित मानक मद में हो रही सम्भावित बचत से बी0एम0-9 में उल्लिखित विवरणानुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त

भवदीय,

(उदय प्रताप सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या उपर्युक्तानुसार, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखकार, (लेखा परीक्षा), उ0प्र0 प्रयागराज ।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, दशम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/ मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन।
6. श्री पीयूष कुमार, उपसचिव एवं नोडल अधिकारी (बजट एलाटमेंट)।
7. सब-यूजर, बजट एलाटमेंट (विभागाध्यक्ष स्तर), उ0प्र0 शासन।
8. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग- 12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 व 2
9. गार्डबुक न्याय-9(बजट)।

आज्ञा से,

(मुकेश कुमार सिंह-II)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A007-20252026-re-22356020004-58-250lakh

विषय:- पुनर्विनियोग का प्रस्ताव

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
042	2235602000400 (राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण)	01 (वेतन)	22,14,32,000 रुपये बाईस करोड़ चौदह लाख बत्तीस हजार मात्र	2,50,00,000 रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र	2,50,00,000 रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र	2,50,00,000 रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र	19,64,32,000 रुपये उन्नीस करोड़ चौंसठ लाख बत्तीस हजार मात्र	2025-2026
कुल					₹ 2,50,00,000	₹ 2,50,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
042	2235602000400 (राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण)	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	2,80,00,000 रुपये दो करोड़ अस्सी लाख मात्र	2,50,00,000 रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र	2,50,00,000 रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र	5,30,00,000 रुपये पाँच करोड़ तीस लाख मात्र	2025-2026
कुल				₹ 2,50,00,000	₹ 2,50,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

1- उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है- वास्तविक व्यय के आधार पर।

2- उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :- आय-व्ययक में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघन नहीं होगा।

संख्या:RE-budget-1-238-E-12-441-X-2025-26-दिनांक: 14-01-2026

सेवा में,

महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)/प्रथम,
उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

मुकेश कुमार सिंह-II
विशेष सचिव

अरूण कुमार
अनुसचिव

संख्या : / , दिनांक- जनवरी, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ0प्र0 प्रयागराज।
3- सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, दशम तल, जवाहर भवन, लखनऊ
5- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
7- वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)
8- गार्ड बुक, न्याय अनुभाग-9 (बजट)/ पुनर्विनियोग रजिस्टर।

आज्ञा से

मुकेश कुमार सिंह-II
विशेष सचिव

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।
http://shasanadesh.up.nic.in